उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग-5
संख्या क0नि0-5-4307/11-2009-500(104)-2004
लखनऊ, दिनांक 27 अगस्त, 2009

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम,1897 (अधिनियम संख्या10 सन्1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या क0नि0-5-4031/11-2005-500(104)/2004 दिनांक 19 दिसम्बर 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैः-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में शब्द एवं अंक "100 प्रतिशत दृष्टिहीन/विकलांगता" जहां भी आये है के स्थान पर शब्द और अंक ''द परसन्स विद डिसएबिलिटीज (इक्वल अपारच्युनिटीज, प्रोटेक्शन आफ राइटस एण्ड फुल पार्टिसिपेसन्स) ऐक्ट 1995 की धारा 56 की उपधारा (4) में यथा परिभाषित गम्भीर निशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति" रख दिये जायेगे।

आज्ञा से
(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव